



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना बढापुर

दिनांक-07.08.2026

**थाना बढापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-127/26 धारा 64(1),351(3) बीएनएस से संबंधित
एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-05.08.2026 को वादिनी द्वारा थाना बढापुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त गौतम पुत्र मदन सिंह निवासी मौ0 नई बस्ती नौमी कस्बा व थाना बढापुर जन पद बिजनौर द्वारा उसके साथ शादी का झासा देकर गलत काम कर जान से मारने की धमकी दी गयी है ।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0-127/26 धारा 64(1),351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 07.08.2026 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त के वांछित अभियुक्त गौतम पुत्र मदन सिंह निवासी मौ0 नई बस्ती नौमी कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर गिरफ्तार किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

गौतम पुत्र मदन सिंह निवासी मौ0 नई बस्ती नौमी कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2. का0 3036 अभिषेक थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3. का0 2886 सारंग थाना बढापुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना नगीना देहात दिनांक-07.08.2026

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 184/2026 धारा 64(2)(m)/351(2)/123 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.08.2026 को वादी द्वारा थाना नगीना देहात पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त अभिषेक पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम बवनपुरा, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गलत कार्य किया गया तथा उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 184/2026 धारा 64(2)(m)/351(2)/123 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

आज दिनांक 07.08.2026 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त के वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम बवनपुरा, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम बवनपुरा, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 श्री नितेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 2715 मौ0 आमिर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 2378 कार्तिक थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना धामपुर

दिनांक 06.08.2026

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 316/2026 धारा 103(1)109(1)/115(2)/352/351(3)/74 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट व 9M/10 पॉक्सो एक्ट से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 02 छुरी सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.08.2026 को वादी श्री बिलाल पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला कुरैशियान ग्राम नीन्दडू खास थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.अरमान पुत्र मोबीन 2.मोबीन पुत्र अब्दुल अजीज 3.नाजिश पुत्री मोबिन 4.सानिया पुत्री मोबिन 5.सुबहान उर्फ भूरा पुत्र मौबीन निवासीगण मौहल्ला कुरैशियान ग्राम नीन्दडू खास थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी के पिता के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से चाकू से वार किया गया जिससे वादी गम्भीर रूप से घायल हो गया एवं वादी के पिता की मृत्यु हो गयी ।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 316/2026 धारा 103(1)109(1)/115(2)/352/351(3)/191(2) बीएनएस व 9M/10 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा अभियोग उपरोक्त से धारा 191(2) बीएनएस का लोप करते हुए धारा 74 बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही

दिनांक 07.08.2026 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण 1.अरमान पुत्र मोबीन 2.मोबीन पुत्र अब्दुल अजीज निवासीगण कुरैशियान नीन्दडू थाना धामपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त 02 छुरी सहित गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगण ने बताया कि इकबाल एवं विलाल उनके तेहरे भाई हैं तथा सभी लोग ग्राम नीन्दडू में पास-पास रहते हैं। दिनांक 06.08.2026 को प्रातः करीब 07:00 बजे वे अपने घर के बाहर ठेले पर सब्जी

लगा रहे थे, तभी पिछली शाम बच्चों के बीच हुई कहासुनी को लेकर इकबाल पुत्र पीरबख्श एवं विलाल पुत्र इकबाल उनसे विवाद करने लगे। बात बढ़ने पर गाली-गलौज एवं धक्का-मुक्की होने लगी।

अभियुक्तगण के अनुसार, इसी दौरान दोनों घर से मुर्गा काटने वाली छुरी लेकर आए। अरमान ने इकबाल के सीने पर छुरी से वार कर दिया, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। विलाल द्वारा पकड़ने का प्रयास करने पर मोवीन ने भी उस पर छुरी से वार कर घायल कर दिया। बाद में उन्हें जानकारी हुई कि इकबाल की मृत्यु हो गई है।

अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. अरमान पुत्र मोबीन निवासी कुरैशियान नीन्दडू थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. मोबीन पुत्र अब्दुल अजीज निवासी कुरैशियान नीन्दडू थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

02 छुरी (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्र प्रताप सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. उ०नि० बृजकिशोर शर्मा थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3. हे०का० 830 हरिओम थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4. का० 123 दीपक जावला थाना धामपुर जनपद बिजनौर
5. का० 2179 सौरभ कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना धामपुर

दिनांक 07.08.2026

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 295/2026 धारा 109(1)115(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 01 वाछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.07.2026 को वादिनी फरजाना पत्नी तसलीम निवासी ग्राम पल्लावाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.समर पुत्र निजामुद्दीन 2.निजामुद्दीन पुत्र नामालूम 3.जान्नो पुत्री सिराजुद्दीन 4.नासिर पुत्र सिराजुद्दीन निवासीगण ग्राम पल्लावाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी व वादिनी के भतीजे गुलजार के साथ गाली गलोच करते हुये जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी एव जान से मारने की धमकी दी गयी ।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 295/2026 धारा 115(2)/118(1)/352 बीएनएस अधि0 बनाम समर आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया तथा दौराने विवेचनात्मक कार्यवाही के अभियोग उपरोक्त मे धारा 109(1)/3(5)/351(3) बीएनएस की वृद्धि की गयी एव धारा 118(1) बीएनएस का विलोप किया गया ।

कार्यवाही -

आज दिनांक 07.08.2026 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त की वाछित अभियुक्ता जान्नो पुत्री सिराजुद्दीन निवासी ग्राम पल्लावाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता -

जान्नो पुत्री सिराजुद्दीन निवासी ग्राम पल्लावाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण ----

1. उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. का0 2514 अभिषेक थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3. म0का0 2414 शिखा थाना धामपुर जनपद बिजनौर